# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 08/2018

मेहन्दी हसन सम्मा(एडवोकेट) निवासी नई मस्जिद के पास इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी टोंक

--प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक** 28.02.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.12.21017को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–यह कि उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे जिसके तहत मदरसा अहमदिया पांच बत्ती कालीपलटन टोंक राज0 पंजीयन संख्या 3579 का पंजीयन निरस्त किया गया है।

2–यह कि मदरसा पंजीयन संख्या 3579 का पंजीयन निरस्त होने से पूर्व मदरसो मे जितने भी मदरसा शिक्षा सहयोगी कार्यरत थे, उनकी सूची देवे तथा इन सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियो के नियुक्ती आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे जो डी.एम.डब्ल्यू.ओ. टोंक द्वारा जारी किये गये थे तथा साथ ही मदरसा प्रबंधन कमेठी द्वारा इन सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियो के मदरसा मे कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट जो डी.एम.डब्ल्यू.ओ टोंक को भेजी गई थी,उसकी भी प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करावे।

3–यह कि मदरसा पंजीयन संख्या 3579 का पंजीयन निरस्त किये जाने के पश्चात इस मदरसा मे कार्यरत किसी भी मदरसा शिक्षा सहयोगी को नवीन(नया) मदरसा आवंटित किया गया है तो उस मदरसा शिक्षा सहयोगी का नाम जो नवीन मदरसा आवंटित किया गया है उस मदरसा का नाम तथा नवीन(नया) आवंटित मदरसा व मदरसा शिक्षा सहयोगी के मध्य हुए अनुबंध की प्रति भी देवे तथा साथ ही उक्त शिक्षा सहयोगी को डी.एम.डब्ल्यू. ओ टोंक द्वारा जारी किये गये नवीन नियुक्ति आदेश की प्रति भी देंवे तथा साथ ही मदरसा प्रबंधन कमेठी द्वारा मदरसा शिक्षा सहयोगी के मदरसा मे कार्य ग्रहण की रिपोर्ट जो डी.एम.डब्ल्यू.ओ टोंक को भेजी गई है, उसकी प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करावे।

4–यह कि मदरसा पंजीयन संख्या 3579 का पंजीयन निरस्त होने के पश्चात इस मदरसा मे कार्यरत किसी भी मदरसा शिक्षा सहयोगी को डी.एम.डब्ल्यू.ओ टोंक द्वारा नवीन(नया) मदरसा आवंटित किया गया है,तो इस संबंध मे राज0 मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा यदि कोई आदेश,निर्देश,नियम या कोई मार्गदर्शन गाईड लाईन दी गई है तो उसकी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

5–यह कि मदरसा पंजीयन संख्या 3579 का पंजीयन निरस्त होने के पश्चात इस मदरसा मे जितने भी मदरसा शिक्षा सहयोगी कार्यरत थे, उन सभी मदरसा शिक्षा सहयोगियो को नवीन(नया) मदरसा आवंटित करने से संबंधित समस्त पत्रावली की मय नोटशीट कार्यालय

जिला कलेक्टर टोंक

टिप्पणी व यूओ. नोट सहित समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे तथा आज दिनांक 28.12.2017 तक जितनी भी कार्यवाही की गई है, समस्त कार्यवाही की दिनांक वार की गई कार्यवाही की समस्त पत्रावली देवे।

6–यह कि मदरसा पंजीयन संख्या 3579 मे कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगियो के अनुबंध की प्रति देवे तथा इस मदरसा का पंजीयन निरस्त होने के पश्चात मदरसा मे कार्यरत किसी भी मदरसा शिक्षा सहयोगी को नवीन मदरसा आवंटित किया गया है तो नवीन अनुबंध की प्रति भी उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी टोंक से अपील के संबंध मे जवाब भिजवाने हेतु पंत्राक 281 दिनाक 08.02.2018 व 326 दिनांक 129.02.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1921 दिनांक 15.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 1880 दिनांक 31.01.2018 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक